चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/106
दिनांक :- 9-4-2025

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध संस्थान/महाविद्यालय,
सम्बद्ध चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषयः– उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2025–2026 के लिये नये महाविद्यालयों / संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठयक्रमों (बी0एड0 पाठयक्रम को छोडकर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के आनलाईन निस्तारण हेतु समय– सारणी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2 के पत्र संख्या – I/930944/2025/70–2099/28/2024 दिनांक 07.04.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2025–26 के लिये नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठयक्रमों (बी0एड0 पाठयक्रम को छोडकर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के आनलाईन निस्तारण हेतु निम्नवत् संशोधित समय – सारणी निर्धारित की गई हैः–

क्रम सं0	कार्यवाही	समय– सीमा
01.	विश्वविद्यालय में नये पाठयक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव आनलाईन जमा करने की अन्तिम तिथि	————
02.	विश्वविद्यालय में आनलाईन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि सम्बन्धी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना।	10 अप्रैल, 2025
03.	अनापत्ति आदेश आनलाईन निर्गत किया जाना	13 अप्रैल, 2025
04.	ऑनलाइन अनापत्ति के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णय के विरूद्ध शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि	15 अप्रैल, 2025
05.	शासन में अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि	18 अप्रैल, 2025
06.	निरीक्षण मण्डल का गठन	दिनांक 20 अप्रैल, 2025 तक 01.) अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 18 अप्रैल तक निरीक्षण मण्डल के गठन के सम्बन्ध में आवेदन किया जाएगा। 02) तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 20 अप्रैल तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जाएगा।
07.	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना	दिनांक 03 मई, 2025 तक।
08.	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता आनलाईन प्रदान करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 13 मई, 2025 तक।
09.	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के सम्बन्ध में लिये	दिनांक 22 मई, 2025 तक।

	गये निर्णय के विरूद्ध शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि	
10	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 31 मई, 2024 तक।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः—

01. व्यैक्तिक सहायक कुलपति को मा0 कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ।
02. व्यैक्तिक सहायक प्रति कुलपति को मा0 प्रति कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
03. सचिव कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
04. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त समस्त राजकीय महाविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. प्रभारी, वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
07. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)